जापान के फंसे जहाज से कई टन ईंधन रिसाव के बाद

मॉरीशस में 'पर्यावरणीय आपातकाल' घोषित

जोहानिसबर्ग, 8 अगस्त (एपी)।

● प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इसकी घोषणा तब की जब उपग्रह से ली गई तस्वीरों में उन पर्यावरणीय इलाकों के पास नीले जल में गहरे रंग का तैलीय पदार्थ फैलता दिखा जिन्हें सरकार ने 'बेहद संवेदनशील' बताया।

मॉरीशस ने तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एक जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने के बाद शुक्रवार देर रात 'पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति' घोषित कर दी।

प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इसकी घोषणा तब की जब उपग्रह से ली गई तस्वीरों में उन पर्यावरणीय इलाकों के पास नीले जल में गहरे रंग का तैलीय पदार्थ फैलता दिखा जिन्हें सरकार ने 'बेहद संवेदनशील' बताया। मॉरीशस ने कहा कि यह पोत करीब 4,000 टन ईंधन ले जा रहा था और इसके निचले हिस्से में दरारें आ गईं हैं।

जगन्नाथ ने इससे पहले दोपहर में कहा था कि उनकी सरकार मदद के लिए फ्रांस से अपील कर रही है। उन्होंने साथ ही कहा था कि यह रिसाव 13 लाख की आबादी वाले उनके देश के लिए 'एक खतरा' है जो मुख्यतः पर्यटन पर आश्रित है और कोरोना वैश्विक महामारी के प्रभावों से बुरी तरह प्रभावित है।

उन्होंने कहा कि हमारे देश के पास फंसे हुए पोतों को फिर से प्रवाहमान बनाने का कौशल और विशेषज्ञता हासिल नहीं है, इसलिए मैंने फ्रांस और राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम से कार्रवाई करना असंभव हो गया है और 'मुझे इस बात की चिंता है कि रविवार को क्या होगा जब मौसम और खराब हो जाएगा।' इसके साथ ही फ्रांस का रीयूनियन द्वीप मॉरीशस का करीबी पड़ोसी है और फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस मॉरीशस का 'प्रमुख विदेशी निवेशक' और उसके बड़े व्यापार साझेदारों में से एक है।

जगन्नाथ ने पोत 'एमवी वाकाशियो' की एक तस्वीर पोस्ट की जो खतरनाक ढंग से झुका हुआ है। मॉरीशस मौसम विज्ञान सेवा ने कहा 'समुद्र में अत्यधिक खतरा है। साथ ही समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है।'

सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल की आपूर्ति रोकी

खत्म हो चुकी है करार की मियाद

इस्लामाबाद, 8 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान को सऊदी अरब से उधार पर कच्चा तेल मई से नहीं मिला है। साथ ही उसे आपूर्तिकर्ता की ओर से इस सुविधा को जारी रखने के बारे में अभी कोई जवाब भी नहीं मिला है।

रपटों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच इस बाबत 3.2 अरब डॉलर के समझौते की मियाद दो महीने पहले ही समाप्त हो चुकी है। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' में शुक्रवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने नवंबर, 2018 में पाकिस्तान की बाहरी क्षेत्र की चिंता को दूर करने के लिए 6.2 अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी। सऊदी अरब से 3.2 अरब डॉलर की कच्चे तेल की सुविधा इसी पैकेज का हिस्सा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से इस व्यवस्था के विस्तार का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक उसे इस पर जवाब नहीं मिला है।

पेट्रोलियम विभाग के प्रवक्ता साजिद काजी ने कहा कि यह करार मई में समाप्त हो गया। वित्त विभाग इसके नवीकरण का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब सरकार से जवाब का इंतजार है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जबकि उसका अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आइएमएफ) कार्यक्रम भी पिछले पांच माह से तकनीकी तौर पर स्थगित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी ऋण को वापस करने और तेल सुविधा की मियाद समाप्त होने से केंद्रीय बैंक के आधिकारिक मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। यह भंडार शुद्ध रूप से कर्ज लेकर बनाया गया है। बजट अनुमानों के अनुसार सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में न्यूनतम एक अरब डॉलर का कच्चा तेल मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान का वित्त वर्ष जुलाई से शुरू होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने समय से चार महीने पहले एक अरब डॉलर का सऊदी अरब का ऋण चुका दिया है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यदि पाकिस्तान को चीन से इसी तरह की सुविधा मिलती है तो वह दो अरब डॉलर का नकद ऋण भी लौटाने की स्थिति में होगा।

सर शादी लाल एण्टरप्राईजेंज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय– 4अ, हन्सालय, 15, बाराखम्बा रोड नई दिल्ली– 110001
CIN : L51909DL1933PLC009509
Website-www.sirshadilal.com
E-mail: udsm_shamli@sirshadilal.com
सूचना
एतदद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एल. ओ. डी. आर.) अधिनियम 2015 के नियम 29 (1)(ए) के अनुसार सूचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालन मंडल की बैठक वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से दिनॉक 11 अगस्त 2020, को होनी निश्चित हुई है, जिसमें 30 जून 2020 को समाप्त हुये त्रैमासिक अपरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कम्पनी के अधिकारी/संचालको एवं उनके रिश्तेदारो के लिये कम्पनी की प्रतिभूतियो की खरीद फरोख्त कम्पनी के वित्तीय परिणामो के प्रकाशित होने के 48 घंटे तक बन्द रहेगी।
कृते सर शादी लाल एण्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता/–
अजय कुमार जैन
कम्पनी सचिव
स्थान : नई दिल्ली
दिनॉक : 07.08.2020

UFLEX
'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, मानोट कॉर्नर, पामपोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, फोन : +91-11-26440917, 26440925, फैक्स : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com
ईमेल : secretarial@uflexltd.com
सूचना
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 18 अगस्त, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 जुन, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।
यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता/-
अजय कुम्भा
वरि. वी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी-001,कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 08.08.2020

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालयः केशव पुरम, लॉरेंस रोड, दिल्ली–110035
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **04/02/2020** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारों: एस. के. ट्रेडिंग एण्ड कं. (मालिक श्री अजय पाल खारी),** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.40,49,294/– (चालीस लाख उनन्चास हजार दो सौ चौरानबे रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 05.08.2020** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.40,49,294/– (चालीस लाख उनन्चास हजार दो सौ चौरानबे रूपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लॉरेंस रोड, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
श्री चन्दर सिंह के नाम में सम्पत्ति असर सं.240 के निर्माण के रूप में विस्तृत, क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्गगज, ग्राम रामपुरा, दिल्ली के 1908–1909 के पुराना लाल डोरा में स्थित, फ्रीहोल्ड अधिकार के साथ, दिल्ली–110035 के सभी भाग एवं हिस्से। सम्पत्ति का विवरणः
पूर्वः अन्य सम्पत्ति पश्चिमः श्री धीरज का घर
उत्तरः सड़क दक्षिणः गली
स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 05.08.2020 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सोमाली सेना के अड्डे के बाहर विस्फोट में आठ सैनिकों की मौत

नैरोबी, 8 अगस्त (एपी)।

सोमालिया की राजधानी में एक सैन्य अड्डे के बाहर विस्फोटकों से लदे वाहन में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट कर दिया जिससे करीब आठ सैनिकों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी।

कैप्टन मोहम्मद हुसैन ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पुलिस कर्नल अहमद मूसे ने कहा कि हमलावर ने वारटा-नबड्डा जिले में 12 अप्रैल आर्मी ब्रिगेड अड्डे पर हमला किया।

इसके साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि पुलिस ने वहां घेराबंदी कर दी और एंबुलेंस के सायरन सुने गए। वहां से धुएं का गुब्बार निकलता देखा गया। साथ ही अल-कायदा से जुड़ा अल-शबाब चरमपंथी समूह मोगादिशु में अक्सर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाता है।

यमन में हवाई हमलों में करीब नौ बच्चों की मौत : संयुक्त राष्ट्र

सना, 8 अगस्त (एपी)।

उत्तरी यमन में हुए हवाई हमलों में करीब नौ बच्चों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में यह तीसरा हमला है जिसमें इतनी संख्या में बच्चों की मौत हुई है।

यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता समन्वयक, लिजे ग्रांडे ने एक बयान में कहा कि गुरुवार को हुए हमले का शिकार वह समूह हुआ जिसमें ज्यादातर महिलाएं एवं बच्चे थे जो सड़क मार्ग से सफर कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह कि चौंकाने वाला और पूरी तरह अस्वीकार्य है। बयान में कहा गया कि कम से कम सात और बच्चे तथा दो महिलाएं घायल हुईं लेकिन बताया कि हताहत होने के आंकड़े प्रारंभिक और अब भी जांच के दायरे में हैं।

इलाके पर नियंत्रण रखने वाले हूती विद्रोहियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि यमन सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी अरब नीत गठबंधन ने पर्वतीय उत्तरी यमन के जाव्फ प्रांत में छह हवाई हमले किए। इसने कहा कि शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जिनमें अधिकतर महिलाएं एवं बच्चे हैं। हूती नियंत्रण वाले इलाकों तक सहायता कर्मियों एवं पत्रकारों की सीमित पहुंच के कारण हमले के ब्योरों की पुष्टि करना अक्सर मुश्किल होता है।

सऊदी नीत गठबंधन के लिए प्रवक्ता, तुर्की अल मलिकी ने सऊदी समाचार-पत्र अल शर्क अल अवसत को शुक्रवार को बताया कि गठबंधन असैन्य नागरिकों के हताहत होने के हालिया आरोपों पर 'गंभीरता से जांच' कर रहा है।

गठबंधन और हूती विद्रोहियों में कई वर्षों से युद्ध चल रहा है और स्कूलों, अस्पतालों एवं शादी समारोह में अनियमित हवाई हमलों के लिए गठबंधन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती रही है।

बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड
(पूर्व में सहयोग मल्टीबेस लिमिटेड)
CIN: L74110DL1992PLC116773
पंजी. कार्यालयः एस-1ए, भूतल, भगवान दास नगर, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
फोनः +91 9811876512/ईमेलः info@bestagrolife.com/वेबसाईटः www.bestagrolife.com
सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार 14 अगस्त, 2020 को 3.00 बजे अप. में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार किये जाएंगे।
बोर्ड की बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bestagrolife.com पर Investor Zone Tab - Corporate Announcements शीर्ष के अंतर्गत तथा बीएसई की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।
बेस्ट एग्रोलाइफ लिमिटेड के लिये
(पूर्व में सहयोग मल्टीबेस लिमिटेड)
हस्ता./-
हिमांशि नेगी
कम्पनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी
तिथिः 08.08.2020
स्थानः नई दिल्ली

सिंधु जल संधि : विश्व बैंक ने मध्यस्थ नियुक्त करने में असमर्थता जताई

इस्लामाबाद, 8 अगस्त (भाषा)।

विश्व बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से लंबित जल विवाद के समाधान के लिए एक निष्पक्ष विशेषज्ञ या मध्यस्थता अदालत (सीओए) नियुक्त करने पर स्वतंत्र फैसला लेने में सक्षम नहीं होने की बात कही है। यहां मीडिया में आई एक खबर में यह कहा गया है। खबर के मुताबिक विश्व बैंक ने यह भी कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय तरीके से एक विकल्प चुनना चाहिए।

बताते चलें कि भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की लंबी बातचीत के बाद 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था। यह संधि नदियों के जल के उपयोग के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र का प्रावधान करती है। हालांकि, संधि को लेकर भारत और पाक के बीच असहमति एवं मतभेद रहे हैं।

डॉन अखबार ने पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक के पूर्व निदेशक पी. इल्लनगोवान के हवाले से कहा है, 'भारत और पाकिस्तान को इस बारे में मिल बैठकर तय करना चाहिए कि आगे कौन सा विकल्प होगा।' उन्होंने इस्लामाबाद में अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर यह कहा।

उन्होंने बताया कि दो जलविद्युत परियोजनाओं के विवाद के हल के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थता अदालत नियुक्त करने का अनुरोध किया था, जबकि भारत ने एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि के तहत दो टकरावपूर्ण स्थितियों को लेकर विश्व बैंक दोनों देशों की सरकारों को अपने मतभेद दूर करने का रास्ता तलाशने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।

पाक में कोविड-19 के मामलों का आंकड़ा 2,83,487 पहुंचा

इस्लामाबाद, 8 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान में शनिवार को कोविड-19 के 842 नए मामले सामने आए जिसके बाद देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,83,487 हो गए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 24 और लोगों की जान चली गई। इससे कोविड-19 से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 6,068 हो गया।

देश में अब तक 2,59,604 मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। हालांकि 801 मरीजों का हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।

सिंध प्रांत में कोविड-19 के 1,23,246 मामले हैं, जबकि पंजाब प्रांत में 94,223, खैबर-पख्तूनख्वा में 34,539, इस्लामाबाद में 15,214, बलूचिस्तान में 11,835, गिलगित-बल्तिस्तान में 2,301 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2,129 मामले हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 24,366 नमूनों की जांच की गई है। अबतक कुल 2,103,699 नमूनों की जांच की जा चुकी है।

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड
APLAPOLLO STEEL PIPES
CIN: L74899DL1986PLC023443, Website: www.aplapollo.com
पंजीकृत कार्यालयः 37, हरगोविन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालयः 36, कौशाम्बी, आनंद विहार टर्मिनल के निकट, दिल्ली-201010
Phone No. +91-120-4041400, Fax No: +91-120-4041444,
Email: investors@aplapollo.com,
सूचना
सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(ए) के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 13 अगस्त, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) पर अन्य विषयों के अलावे अनुमोदन किये जाएंगे।
एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(दीपक सीएस)
कम्पनी सचिव
स्थानः गाजियाबाद
तिथिः 7.8.2020

HDFC BANK
We understand your world
विशेष प्रचालन विभाग-5वाँ तल, प्लॉट नं. 1, अंसल क्लैसिक टावर, ब्लॉक जे, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
सरफैसी अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों)/मार्टगैजर(रों) ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन तथ ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है तथा उनकी खाताओं को गैर प्रचालन परिसमपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर उन्हें सूचनाएँ जारी की गईं लेकिन उसमें से कुछ अन-सर्व्ड वापस लौट आई और इसीलिए उन्हें इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।
ऋणधारक का नामः 1. मै. ओवर के. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11/77, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110020
गारन्टरों का नामः 2. श्रीमती सुधा गुप्ता, पत्नी श्री देवेन्द्र गुप्ता ए-172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087 3) श्री अनिल कुमार गोयल, पुत्र श्री सूरज भान गोयल, मकान सं. 41, 2रा तल, वेस्ट एवैन्यू रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 4. श्री गुरमीत सिंह मथारू, पुत्र श्री पिआरा सिंह, डब्ल्यू-21, 2रा तल, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, 5. सुश्री मणि गुप्ता, पुत्री श्री वीरेन्द्र, एस-63, निवेदिता कुंज, आर.के. पुरम, सेक्टर 10, नई दिल्ली-110022, 6. श्री पारस गुप्ता, पुत्र श्री देवेन्द्र गुप्ता, ए-172, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, 7. मै. एपी इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 638, ऊपरी तल, इंडस्ट्रियल एरिया-बी, थापर मार्केट, लुधियाना-141003, साथ हीः 417, प्रथम तल, मेरा एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087, 8. मै. प्रेसीडियम एजुकेशनल इंस्टीच्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 11/77, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110020 9. मै. स्कॉलर ट्यूब एजुकेशन एंड लर्निंग सॉल्यूशन्स प्रा.लि., पंजीकृत कार्यालयः 1509, 15वाँ तल, आर.जी. ट्रेड टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
चल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति के स्वामी
वर्तमान तथा भविष्य के सभी प्लान्ट एवं मशीनरी तथा चल परिसम्पत्तियों में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ प्रथम् समानुरूप प्रभार के द्वारा हाइपोथेकेशन	मै. ओवर क. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

अचल सम्पत्तियों का विवरण

	सम्पत्ति का विवरण	स्वामी
1.	हाई स्कूल साईट-1, ब्लॉक ई, मेफिल्ड गार्डन्स, सेक्टर-57, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, माप 4.513 एकड़, चौहद्दीः पूर्वः प्राईमरी स्कूल प्लॉट/अन्य भूमि, पश्चिमः रोड, उत्तरः बीपीटीपी टावर, दक्षिणः अन्य कम्पनी की भूमि	मै. ओवर क. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड

सूचना की तिथिः 17 जुलाई, 2020	एनपीए की तिथिः 29 नव., 2019

बकाया राशि (17 जुलाई, 2020 को) रु. 63,12,25,426.80 (रुपये तिहृसठ करोड़ बारह लाख पच्चीस हजार चार सौ छब्बीस तथा पैसे अस्सी मात्र) तथा 18 जुलाई, 2020 से तथा अंतिम भुगतान तक उस पर आगे का अनुबंधित ब्याज
ऊपर नामित ऋणधारक एवं/अथवा उनके गारन्टरों/मार्टगैजरों को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाये राशि का भुगतान करें अन्यथा 60 दिनों की समाप्ति के बाद सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जायेगी।
तिथिः 8.8.2020
स्थानः नई दिल्ली
एचडीएफसी बैंक लि. के लिये
प्राधिकृत अधिकारी

अनुसूची 1
प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत]
एरोज ग्लोबल सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एरोज ग्लोबल सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	16.3.2015
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999HR2015TC054892
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	बी-808, सूर्य विहार, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, धारुहेरा, गुड़गांव, हरियाणा-122016
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	5.8.2020
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	नामः श्री आशीष सिंह पंजीकृत कार्यालयः 811, 8वां तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 पत्राचार का पताः 811, 8वां तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर-1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल आईडीः isaadvocates@gmail.com संख्याः +91 9312680896 पंजी.सं. IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-18/11230
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	4.9.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है एरोज ग्लोबल सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने 5.8.2020 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया है।
एतद्द्वारा एरोज ग्लोबल सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 4.9.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।
परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर
तिथिः 9.8.2020
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली
आशीष सिंह

विषाणुनाशक रसायन के सेवन से अमेरिका में चार लोगों की मौत

न्यूयॉर्क, 8 अगस्त (एपी)।

अल्कोहल युक्त विषाणुनाशक रसायन (सैनेटाइजर) कोरोना को फैलने से रोकने में मददगार साबित हो सकता है लेकिन ऐसे उत्पादों को पी लेना दो राज्य के चार लोगों के लिए जानलेवा साबित हो गया।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस हफ्ते जानकारी दी कि मई और जून में विषाणुनाशक रसायन पी लेने से एरिजोना और न्यू मेक्सिको में 15 वयस्कों के शरीर में जहर फैल गया। रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र ने बताया कि इनमें से चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य को दृष्टि संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

इन सभी ने उन विषाणुनाशक रसायनों का सेवन किया था जिसमें मेथेनॉल या वुड अल्कोहल था। वैध विषाणुनाशक रसायनों में कीटाणुओं को मारने वाली सामग्री में मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल होता है जिसका सेवन किया जा सकता है। लेकिन कुछ कंपनियां इसके स्थान पर जहरीले मेथेनॉल का प्रयोग कर रही हैं जो एंटीफ्रीज (किसी द्रव का जमाव बिंदु कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला योगज) में इस्तेमाल होता है।

बेरूत में विस्फोटक रसायनों का भंडार होने की कई बार दी गई थी चेतावनी

बेरूत, 8 अगस्त (एपी)।

लेबनान के सीमा शुल्क अधिकारियों, सेना, सुरक्षा एजंसियों और न्यायपालिका के अधिकारियों ने पिछले छह वर्ष में कम से कम 10 बार इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि बेरूत के बंदरगाह में विस्फोटक रसायनों का जखीरा पड़ा है और उसकी सुरक्षा लगभग न के बराबर है। हाल में सामने आए कुछ दस्तावेजों से यह पता चलता है।

इन चेतावनियों पर जरा भी गौर नहीं किया गया और मंगलवार को 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया जिससे देश के मुख्य वाणिज्यिक केंद्र में भयंकर तबाही मची तथा हर तरफ मौत और बर्बादी के मंजर देखे गए। राष्ट्रपति मिचेल औन ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें करीब तीन हफ्ते पहले खतरनाक रसायन भंडार के बारे में जानकारी दी गई थी और उन्होंने फौरन सैन्य तथा सुरक्षा एजंसियों को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो गई थी क्योंकि बंदरगाह पर उनका कोई अधिकार नहीं है।

जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्होंने यह देखा कि उनके आदेश का अनुपालन हुआ या नहीं, इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि आप जानते हैं कि कितनी सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई हैं? विस्फोट के बाद से सोशल मीडिया पर चल रहे दस्तावेजों में लेबनान के लंबे समय से सत्तारूढ़ राजनीतिक कुलीनतंत्र के भ्रष्टाचार, लापरवाही और अक्षमता तथा लोगों को सुरक्षा समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफलता की बातें सामने आयी हैं।

विस्फोट की जांच कर रहे जांचकर्ताओं की नजर बेरूत बंदरगाह के कर्मचारियों पर है। अभी तक बंदरगाह के कम से कम 16 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है तथा अन्य से पूछताछ चल रही है।

जांचकर्ताओं ने शुक्रवार को बंदरगाह के प्रमुख हसन कोरेयतम, देश के सीमा शुल्क प्रमुख बदरी दहर और दहर के पूर्ववर्ती को हिरासत में लेने का आदेश दिया। यह लेबनान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट था जिसमें 154 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,000 से अधिक लोग घायल हैं। राष्ट्रपति की टिप्पणियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि शीर्ष नेताओं को रासायनिक भंडार की जानकारी थी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रासायनिक भंडार वहां सात वर्ष से था। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक है और मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे नहीं मालूम था कि यह कहां रखा था। मुझे खतरे का स्तर तक मालूम नहीं था। मेरे पास बंदरगाह के मामलों से सीधे तौर पर निपटने का कोई अधिकार नहीं है।

औन ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लापरवाही के चलते विस्फोट हुआ हो लेकिन किसी बम या अन्य 'बाहरी हस्तक्षेप' की आशंका से भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्रांस से उपग्रह से ली तस्वीरें भेजने के लिए कहा है ताकि यह देखा जा सके कि क्या विस्फोट के वक्त वहां कोई विमान या मिसाइल देखी गई।

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड
सीआईएनः L51909DL2002PLC163727
पंजीकृत कार्यालयः 610-611, गुरु रामदास नगर, मेन मार्केट, सामने एसबीआई बैंक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 दूरभाष नं.: 0124-4640030
ई-मेलः cs@vmart.co.in वेबसाइट : www.vmart.co.in
सूचना
कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अन्तरण
एतद्वारा शेय